प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.03.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.02.2025 को वादिया द्वारा थाना मुरादनगर पर सूचना दी गई कि वादिया की पुत्री के ऊपर उसके पति इंतखाब आलम पुत्र मौ0 असलम निवासी मौहल्ला व्यापारियान रावली रोड मुरादनगर गाजियाबाद आदि के द्वारा पैट्रोल छिड़ककर बाथरूम में धक्का देकर आग लगाकर दरवाजा बन्द कर देना जिससे वादिया की पुत्री का 75 प्रतिशत शरीर जल जाना व पूर्व में मारपीट करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल अन्तर्गत धारा 115(2)/127(2)/118(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। दिनांक 07.03.2025 को पीडिता की सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी तथा विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1), 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इंतखाब आलम पुत्र मौ0 असलम निवासी मौहल्ला व्यापारियान रावली रोड मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष को गुडमंडी के सामने रावली रोड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मेरी शादी भूरी उर्फ मुवाशिरा से दिनांक 28/03/2005 को हुई थी। हमारी तीन बेटी और एक बेटा हैं। मेरा शराब पीने को लेकर अपनी पत्नी से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। जब भी मैं शराब पीकर घर आता था तो मेरी पत्नी मेरे साथ लडाई झगडा करती रहती थी। दिनांक 25.02.2025 को भी मैं जब शराब की बोतल लेकर शराब पीने के लिए अपने घर आया जैसे ही मैं घर में बैठकर शराब पीने लगा तो मेरी पत्नी मेरे साथ झगडा करने लगी हमारे घर में सर्दियो में आग जलाने के लिये पैट्रोल की बोतल रखी थी तो मैंने पैट्रोल की बोतल उठाकर अपनी पत्नी भूरी उर्फ मुवाशिरा के ऊपर डाल दी तथा पास में ही रखी माचिस उठाकर दूर से ही तीली फैंक दी थी जब वह चिल्लाने लगी तो मै मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इंतखाब आलम पुत्र मौ0 असलम नि0 मौहल्ला व्यापारियान रावली रोड मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम व सर्विलांस टीम, ट्रांस हिंडन जोन द्वारा अपने कम्पनी मालिक के 14.50 लाख रुपये हड़पने तथा झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटर साइकिल व 14.50 लाख रुपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 10.03.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी योगेश सिघंल पुत्र श्री रमेश चंद्र सिंघल निवासी डी 257 निर्मन विहार हाल पता 61/3 साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि मेरी मारमो स्टोन मार्बल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र लिंक रोड में एक कम्पनी है। मेरी कम्पनी में मनीष पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम दवौता बहादुरगढ जनपद झज्जर, हरियाणा बैंक में पैसे का लेनदेन व अन्य कार्य करता है। मैंने दिनांक 09.03.2025 को कंपनी के 14.50 लाख रूपये देकर मनीष को प्रीत विहार, दिल्ली अपने घर भेजा था परन्तु वह घर नहीं पहुंचा और मेरे (कम्पनी मालिक) द्वारा दिए गए 14.50 लाख रुपए लेकर हड़पने की नीयत से फरार हो गया। वादी की तहरीर के आधार पर धारा 316(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर किया गया। तत्काल थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा घटना की सत्यता जानने एवं गहन जांच पड़ताल हेतु टीमों को गठित कर सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस की मदद से अभियुक्त मनीष पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम दवौता बहादुरगढ जनपद झज्जर, हरियाणा उम्र करीब 27 वर्ष को दिल्ली - गाजियाबाद सनशाइन बार्डर के पास मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 14.50 लाख रुपये नगद बरामद हुए तथा पूछताछ करने पर अभियुक्त मनीष द्वारा झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मुझसे 14.50 लाख रुपये छीनकर, मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त मनीष के विरुद्ध धारा 316(2) बीएनएस में धारा 317(2), 212 बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मनीष पुत्र सत्यप्रकाश निवासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मनीष अपने गांव दवौता बहादुरगढ जनपद झज्जर हरियाणा में दूध की डेयरी करता था। अभियुक्त मनीष पर करीब 08 लाख रुपये का कर्जा हो गया था जिसे चुकाने के लिये 7- 8 महीने से प्रयास कर रहा था लेकिन कर्जा अधिक होने के कारण वह रुपयो का इन्तजाम नही कर पा रहा था। कर्जे से परेशान होकर अभियुक्त मनीष साहिबाबाद में मारमो स्टोन मार्बल प्राइवेट लिमिटेड में कार्य करने लगा तथा कम्पनी के मालिक ने अभियुक्त मनीष को दिनांक 09.03.2025 को 14.50 लाख रुपये देकर प्रीत विहार, दिल्ली अपने घर भेजा था परन्तु अभियुक्त मनीष के मन में लालच आ गया और पैसे हड़पने कि नीयत से झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपना मोबाइल फोन बन्द करके रास्ते में फेक दिया। कम्पनी के मालिक को गुमराह करने के लिये वह दिल्ली - गाजियाबाद सनशाइन बार्डर के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनीष पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम दवौता बहादुरगढ जनपद झज्जर, हरियाणा उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

01 मोटर साइकिल व 14.50 लाख रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त मनीष के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर उपरोक्त 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम व सर्विलांस टीम, ट्रांस हिंडन जोन।